जनाधिकार, जवाबदेही, पारदर्शिता,
लोकतंत्र की मजबूती व सुशासन के लिए

सूचना का अधिकार कानून 2005

- एक प्रभावशाली अस्त्र

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान

भारत जननी परिसर, रानीपुर मटूट, पोस्ट-सीतापुर, चित्रकूट-210204 (उ.प्र.), दूरभाष : 05198-224332
E-mail : absschitrakoot@rediffmail.com : absss@sancharnet.in

विषय सूची

धारा	विषय	पृष्ठसंख्या
■	एक निवेदन	2
■	हम कैसे जाने कि क्या है सूचना का अधिकार	3–8
■	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की संक्षिप्त में प्रमुख विशेषताएँ	9–20
■	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	
	अध्याय – 1 (प्रारम्भिक)	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	21–22
2.	परिभाषाएँ	22–24
	अध्याय – 2	
	सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ	
3.	सूचना का अधिकार	25
4.	लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ	25–27
5.	लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम	27
6.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध	28
7.	अनुरोधों का निपटारा	29–30
8.	सूचना के प्रकट किये जाने से छूट	31–32
9.	कतिपय मामलों में पहुँच का अस्वीकृत करने का आधार	33
10.	पृथक्करणीयता	33
11.	पर व्यक्ति की सूचना	34
	अध्याय – 3 (केन्द्रीय सूचना आयोग)	
12.	केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन	35–36
13.	पदावधि और सेवा शर्तें	36–37
14.	सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त का हटाया जाना	37–38
	अध्याय – 4 (राज्य सूचना आयोग)	
15.	राज्य सूचना आयोग का गठन	39–40
16.	पदावधि और सेवा की शर्तें	40–41
17.	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना	42
	अध्याय – 5 (सूचना आयोग की शक्तिया और कृत्य, अपील तथा शास्ति)	
18.	आयोग की शक्तियाँ और कृत्य	43–44
19.	अपील	44–46
20.	शास्ति	46
	अध्याय – 6 (प्रकीर्ण)	
21.	सदभावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण	47
22.	अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना	47
23.	न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन	47
24.	अधिनियम का कतिपय संगठनों का लागू न होना	47–48
25.	निगरानी और रिपोर्ट करना	48–49
26.	केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना	49–50
27.	नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति	50–51
28.	नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति	51
29.	नियमों का रखा जाना	51
30.	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	51
31.	निरसन	51
	पहली एवं दूसरी अनुसूची	52

जन अधिकार, जवाबदेही, पारदर्शिता, लोकतंत्र की मजबूती
व सुशासन के लिए

सूचना का अधिकार कानून-२००५

- एक प्रभावशाली अस्त्र

विकास, सामाजिक न्याय, हक़दारी, कानून, समाज, पर्यावरण, योजना, अधिकार एवं कर्तव्य विषयक जागरूकता एवं साक्षरता
श्रंखला माला
क्रमांक – 5

संकलन एवं सम्पादन
भागवत प्रसाद

शब्दांकन
कुमार अरविंद

वर्ष – **2005–2006**

सहयोग राशि
रुपये– 50/–

सीमित वितरण हेतु

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान
भारत जननी परिसर, रानीपुर भट्ट, पो0 – सीतापुर
जनपद – चित्रकूट (उ0प्र0) 210204
द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित
दूरभाष : 05198–224332
E-mail : abssschitrakoot@rediffmail.com
absss@sancharnet.in

"This document is an output from a project funded by the Department for International Development (DFID), U.K. for the benefit of the developing countries. The views expressed are not necessarily those of the Management Consultant or Department for International Development (DFID), U.K."

जनहित में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव्स, नई दिल्ली से साभार

एक निवेदन

ऐतिहासिक रूप से सत्ता के संघर्ष में ज्ञान एवं सूचना सर्वाधिक एवं महत्वपूर्ण पक्ष रहे हैं । इस संघर्ष में समाज का एक हिस्सा पूरी तरह वंचितों का रहा, तो दूसरी तरफ प्रभावशाली व्यक्तियों, सत्तापुत्रों एवं सत्ता प्रतिष्ठानों की सेवा में लगे लोगों का । इस प्रक्रिया में एक शोषणवादी, अन्यायपूर्ण असमान, सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था विकसित हुई । फलस्वरूप, समाज पर हावी ताकतों, शक्तियों ने हमेशा इस बात को सुनिश्चित किया कि ज्ञान एवं सूचना के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन को आम नागरिक तक न पहुँचाया जाय ताकि असमान, शोषणपूर्ण तथा सार्थक विकास, स्वाभिमान से वंचना एवं सामन्तीकरण की प्रक्रिया सतत् रूप से चलती रहे ।

स्वतन्त्रा प्राप्ति के पश्चात अपनाये गये विकास, सामाजिक न्याय एवं जन कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के प्रयासों के बावजूद भी न तो वांछित परिणाम हासिल हो सके और नही सामाजिक-आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय एवं सततता जैसे मुद्दों को सुलझाया जा सका बल्कि चारो तरफ आकंठ भ्रष्टाचार, अधिकारों का हनन, वंचितों के सीमान्तीकरण की प्रक्रिया निरन्तर गतिमान रही ।

भारतीय संविधान में नागरिकों के जन-अधिकारों की स्थापना, क्रियाशीलता तथा उन तक पहुँच की वकालत अनुच्छेद १६ (१) एवं २१ में निहित होने के बाद भी इन तक पहुँच एक सपना ही रहा है । भारतीय संविधान के अन्तर्गत ऐसे मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु देश के कई हिस्सों में स्वैच्छिक जगत ने अभियान चलाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है ।

''सूचना के अधिकार'' तक लोगों की पहँच एवं नियंत्रण हेतु जो अभियान राजस्थान में ''मजदूर किसान शक्ति संगठन'' ने चलाया, उसका सुखद प्रतिफल सामने आ चुका है । भारतीय संसद ने मई, २००५ में ''सूचना का अधिकार विधेयक, २००५'' पारित कर एक प्रभावशाली अस्त्र, अहिंसात्मक जन हथियार भारतीय नागरिको को मुहैया करा दिया है।

''सूचना का अधिकार कानून, २००५'' एक व्यापक परिप्रेक्ष्य वाला कानून है । इसके अन्तर्गत लोकतंत्र की मजबूती, शासन-प्रशासन की जवाबदेही, पारदर्शिता एवं नागरिक अधिकारों की बहाली की प्रक्रिया गतिमान होगी ।

''सूचना का अधिकार कानून, २००५'' जन-जन तक पहुँचे, इसका उपयोग जनहित में हो, जनाधिकारों की बहाली हो, विकास की प्रक्रिया तेज हो, भ्रष्टाचार में कमी आये, इस उद्देश्य से इस पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है । विश्वास है सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, जन संगठनों के लिए यह पुस्तिका उपयोगी सिद्ध होगी । आप-सबका मार्गदर्शन हमें सम्बल प्रदान करेगा ।

साभार !

(भागवत प्रसाद)
निदेशक

हम कैसे जाने कि क्या है सूचना का अधिकार ?

गौरी के जिले में हेल्थ बोर्ड ने बच्चों को पोलियों की दवाई पिलाने की बहुत बड़ी स्कीम चलाई । गौरी और उसकी सहेलियों ने इसकी सफलता के बारे में रेडियो पर सुना । लेकिन अपने आसपास देखने से पता चला कि बच्चे को दवाई नहीं पिलाई गई थी । उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी से जाकर यह जानकारी मांगी कि कितनी दवाई जिले में आई थी, कितनी पिलाई गई । स्वास्थ्य अधिकारी ने यह सब बताने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सारी सूचना देने की उनकी कोई ज़िम्मेदारी नही ।

एक पत्रकार ने अखबार में पढ़ा कि एक ही इलाके में, एक अवधि के बीच कई बच्चों की मृत्यु किसी बीमारी से हुई थी । जब उसने गाँव-गाँव जाकर इसकी जानकारी ली तो उसे पता चला कि बच्चे बीमारी से नहीं, भूख से मरे हैं । स्वास्थ्य अधिकारियों और कलेक्टर ने इसके बारे में जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया ।

एक इलाके के लोग कई हफ़्तों से राशन की दुकान पर चावल और चीनी लेने जा रहे थे । रोज़ यही जवाब मिलता आया नहीं हैं, खत्म हो गया है । बार-बार परेशान होने पर लोगों ने दुकानदार से कहा कि सामान का रजिस्टर दिखाओं, हम जानना चाहते हैं कि कितना सामान आया, कब आया और कब बाँटा गया । दुकानदार ने उन्हें धमका कर कहा-तुम्हारे बाप की दुकान है, क्या? मैं कोई रजिस्टर न रखूँगा न दिखाऊँगा । कर लो जो कर सकते हो ।

कई बड़े-बड़े अफ़सर और नेता अपनी कार्य की अवधि समाप्त होने के कई साल बाद तक सरकारी मकानों पर कब्जा किये बैठे थे । कईयों ने तो किराया भी नहीं दिया था । बात खुलने पर इस मुद्दे की छानबीन के लिये संसद की एक समिति बनाई गई । जब कुछ पत्रकारों ने समिति से उन लोगों के नामों की सूची माँगी जो घरों पर कब्जा किये हुए थे, उन्हें जवाब मिला ''यह गुप्त मामला है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिये ।''

शब्बीर और सुनील ने अपने नाम रोज़गार विभाग (एम्पलायमेंट एक्सचेंज) में पाँच साल पहिले नाम लिखाया था । जब भी विभाग में वह अपनी स्थिति के बारे में पूँछते तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता । तब उन्हें पता चला कि उनके सहपाठी शंकर को नौकरी मिल गई है, जबकि उसने उन दोनों के बाद अपना नाम दिया था । उन्होंने माँग की कि उन्हें एक्सचेंज के रोल दिखाये जायें । विभाग के अधिकारियों ने कहा, यह सरकारी सूचना है, किसी को नहीं दिखाई जा सकती ।

रामलीबाई को अपने पिता की सम्पत्ति में से हिस्सा मिला था । वह उसे अपने नाम कराना चाहती थी । भाईयों ने कुछ झगड़ा डाला तो तहसीलदार ने रामली से कहा कि भूमि से सम्बन्धित पुराने दस्तावेज़ों की कापियाँ ले कर आओ । रिकार्ड कार्यालय में कागज़ों और दस्तावेजों का इतना बुरा हाल था कि रामलीबाई के दस्तावेज़ कई महीनों तक नहीं मिल पाये और उसका अधिकार मारा गया । अधिकारियों ने कहा कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते । ये सभी बाते हमारें और आपके लिये नई नहीं हैं । गाँव में, शहर में और देश की राजधानी में भी, रोज़मर्रा की कहानी है । जब भी सरकारी या किसी लोक विभाग से कुछ भी जानकारी माँगी जाती है तो वही जवाब मिलता हैः नहीं दे सकते, गुप्त सूचना है । नहीं दे सकते, सरकारी दस्तावेज़ हैं । नहीं दे सकते क्योंकि है ही नहीं । या फिर साफ़-नहीं देंगे, तुम होते कौन हो पूछने वाले ?

आमतौर से लोगों को यह नहीं मालूम कि हमें पूछने और जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार व अन्य जनसम्पर्क रखने वाले विभाग क्या काम कर रहे है और कैसे, कितना पैसा खर्च हो रहा है, और कैसे । इसी को कहते हैं सूचना का अधिकार ।

रामपुर गाँव के लोगों ने सुना था कि गाँव में से बहने वाली नदी पर एक पुल बन रहा है । तीन साल बीत गये पर कोई पुल नहीं दिखाई पड़ा । जब गाँव के कुछ लोगों ने पंचायत से पुल के बारे में सूचना माँगी तो पंचायत ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सरपंच ने कहा- ''यह हमारा मामला है, तुम लोगों को कुछ जानने का अधिकार नहीं है -'' लेकिन रामपुर गाँव के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि :-

पुल बनने के लिए कितना पैसा दिया गया है ?
पुल कितने समय में बनेगा ?
पुल बनाने के लिये कितने लोगों को रोज़गार मिला और कितने वेतन पर ?
पुल किस विशेष स्थान पर बनेगा ?
यदि बनने के बाद पुल टूट जाता है तो किसकी जिम्मेवारी है, किसका दोष है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ़ क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

लोगों को ये सब बाते जानना क्यों जरूरी है ?

लोकतन्त्र में शासन लोगों के लिये ही होता है । हम शासन चलाने के लिये अपने प्रतिनिधि चुनते हैं । सारा सरकारी काम हमारे लिये, हमारे ही पैसों से होता है । यह काम जरूरतों के अनुसार हो, इसके लिये हमें काम की पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिए । इसे कहते हैं, शासन में लोगों की भागेदारी ।

इसीलिए, रामपुर गाँव के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि पुल उस जगह बनाने का निर्णय कैसे लिया गया । उन्हें यह भी जानने का हक है कि पुल बनाने के लिये कितना पैसा तय किया गया है ।

कई ऐसे निर्णय आते हैं जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं । सरकारी कामों में हमारा बहुत पैसा भी लगता है । हमें यह अधिकार है कि हमें ऐसी ज़रूरी बातों के बारे में पता चले । यदि सारे काम के बारे में खुली जानकारी होगी तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है । इसे कहते हैं शासन में पारदर्शिता ।

सरकार और शासन लोगों के लिए है और कानून से बचे नहीं है । यदि काम सही ढंग से नहीं होता, तो शासन को ज़िम्मेवार ठहराया जा सकता है । रामपुर में बना पुल यदि बह जाये या टूट जाये, तो लोग यह जानने के अधिकारी है कि दोष किसका था और दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है । इसे कहते हैं शासन की जनता प्रति जवाबदारी ।

निर्णय जानने के लिये, अनेक तरह के मुद्दों के बारे में सूचित रहने के लिये, हिसाब मांगने के लिये ब्यौरा मांगने के लिये और शासन को अपने काम के लिये ज़िम्मेदार ठहराने के लिये, सूचना आवश्यक है ।

सूचना किसे कहते हैं ?

सूचना कई रूप ले सकती है । वह सरकारी व शासकीय कार्रवाई और बैठकों के ब्यौरे से मिल सकती है, वह शासकीय निर्णयों, आदेशों, अधिसूचनाओं से मिल सकती है । शासकीय रजिस्टरों में एन्ट्री की कापियाँ, खातों की कापियाँ, विभागों की प्रक्रियाएँ और नियम, किसी निर्माण कार्य का चित्रांकन या मानचित्र (नक्शा), सभी चीजें आम नागरिक के लिये सूचना हैं । इन सब चीज़ों का हमारे लिये उपलब्ध होना सूचना का अधिकार है ।

यह अधिकार हमें किसने दिया ?

यह अधिकार हमें हमारे देश के मूल कानून से मिलता है । देश के मूल कानून को संविधान कहते हैं । संविधान के अनुसार हमारे कुछ मूल अधिकार हैं जिनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है । सरकार को इन अधिकारों का उल्लंघन करने की सख्त मनाही है । हाँ, कुछ खास कारणों से, लोगों का ही हित देखते हुए, सामान्य सी रोक लग सकती है । इन खास अधिकारों को कहते हैं मौलिक अधिकार । इनमें से दो अधिकार हैं जो हमें सूचना का अधिकार देते हैं :

१. बोलने का अधिकार :-

इसका मतलब है अपनी बात खुलकर कह पाना, अपने विचार बिना किसी नाजायज रोक के व्यक्त करना । अभिव्यक्ति यानि अपने भाव प्रकट करना- चाहे वह बोलके या लिखके, चित्र या मूर्ति बनाके, या फिर गाके, नाचके, फिल्म बनाकें हों । इस अधिकार का एक जरूरी अंश है किसी भी मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करना चाहे उसके समर्थन में या विरोध में । बोलने और अभिव्यक्ति के अधि

ाकार में जानने का अधिकार निहित है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम उसके बारे में विचार नहीं व्यक्त कर सकते ।

२. जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार :-

इसका मतलब है वे सभी चीजें पाने का अधिकार जिनसे अपने जीवन और प्राणों की रक्षा हो सके। इसमें सम्मान से, बिना नाजायज रोक-टोक का जीवन जीने का अधिकार भी है। इसी में है

अपने जीवन से जुड़ी अहम् बातों की जानकारी का अधिकार ।

उड़ीसा के एक जिले में नहर बनने वाली थी । आपस में चर्चा होने पर वहाँ के लोगों को लगा कि जिस जगह पर नहर बनने वाली है, वहाँ नहर न तो उपयोगी होगी न ही पर्यावरण के हिसाब से सही । उन्होंने सिंचाई विभाग को अपनी बात कहने के लिये, नहर के बारे में कुछ ब्यौरे मांगे । जवाब यह मिला कि ये उन्हें नहीं दिये जा सकते क्योंकि यह सरकारी सूचना है । लोगों को नहर के बारे में सूचना लेने का अधिकार है, ताकि वे नहर के बारे में अपनी राय प्रकट कर सकें ।

एक सरकारी वैज्ञानिक संस्था ने रिपोर्ट निकाली कि कुछ पैक-बंद खाने की चीजों में (जैसे हल्दी, शिशुओं का दूध पाऊडर इत्यादि) कीटाणु-नाशक पदार्थ पाये जाते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है । स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों पर काम कर रही एक संस्था ने जब रिपोर्ट की कापी मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया । बार-बार मांगने के बाद जवाब मिला कि रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । लोगों को अपने स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करने के लिये रिपोर्ट में लिखी बातों की जानकारी का अधिकार है ।

यदि सरकार का कर्तव्य है सूचना देना, तो सूचना हमेशा मना क्यों की जाती है?

सूचना अधिकतर इसलिये मना की जाती है क्योंकि -

- कुछ ऐसे कानून हैं जिनके अन्तर्गत सूचना रोकी जा सकती है ।

  कुछ कानून जो सूचना देने के आड़े आते हैं -

  - भारतीय संविधान साक्ष्य अधिनियम १८७२
  - शासकीय गुप्त बात अधिनियम १९२३

  इस तरह के कानून अंग्रेज सरकार ने अपने बचाव के लिये बनाये थे । ये लोकतंत्र के नियमों के और हमारे संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हैं । इन्हें बदलने की और कुछ को हटाने की आवश्यकता है ।

- शासन जटिल और उलझा हुआ होने के कारण प्रभावशाली और भ्रष्ट हो गया है । वह ''गुप्त सूचना'' की आड़ में अपने को बचाना चाहता है ।

- मांगी गई सूचना मिलनी ही मुश्किल है क्योंकि सरकारी फाईलें, दस्तावेज़ और कागज़ रखने का ढंग बहुत ख़राब और पुराने ढंग का है ।
- लोग यह जानते ही नहीं कि उन्हें सूचना लेने का अधिकार है। अगर उन्हें सूचना देने के लिए कोई इनकार करता है तो वह अपने हक को बलपूर्वक नहीं जताते । अभी की स्थिति में, यह हक लेने के लिये लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा जो कि एक लम्बा और परेशानी का रास्ता है ।

फिर हम यह अधिकार कैसे हासिल कर सकते हैं ?

हमें यह अधिकार तब मिल सकता है अगर :

- सरकार हर विभाग को आदेश दे कि लोगों को सूचना दी जाये ।
- विभिन्न कानूनों को बदला जाये और उनके द्वारा सूचना दी जाये ।
- एक कानून हो जिसके द्वारा कायदे से लोग हर प्रकार की सूचना पा सकें ।

हमें चाहिए एक ऐसा कानून जो :

- लोगों को जरूरी सूचना लेने में मदद करे ।
- स्पष्ट रूप से कहे कि सरकार व शासन के लिए सूचना देना आवश्यक है ।
- स्पष्ट रूप से कहे कि सूचना देना सामान्य नियम है और इनकार केवल विशेष परिस्थितियों में हो सकता है ।
- स्पष्ट रूप से कहे कि इनकार की विशेष स्थितियाँ क्या है ?
- सूचना रखने व जमा करने के सरल तरीके लागू करे, जैसे कम्प्यूटर, इत्यादि ।
- सूचना देने के सरल तरीके लागू करे जैसे - कार्यालयों में फोटोकापी मशीनें, कम्प्यूटर इत्यादि ।
- कहे कि सूचना सरल रूप में दी जानी चाहिए जो आम लोगों की समझ में आए ।
- जो स्पष्ट रूप से बताए कि सूचना कौन देगा, कितने समय में, और लिखित मौखित बोर्ड पर लिखकर, कापी बना कर इत्यादि ।
- जो यह भी स्पष्ट करे कि अलग-अलग प्रकार की सूचना कहाँ मिलेगी ।
- जो सरकार और शासन को कुछ जरूरी सूचना बिना मांगे देने के लिये बाध्य करे । जीवन रक्षा और स्वतंत्रता से जुड़ी बातें जैसे गिरफ्तारी के समय अधिकार, थाने या जेल में बंद रहने पर अधिकार, स्वास्थ्य और पर्यावरण की जरूरी सूचनाएँ सरकार को अपने आप नागरिकों को देनी चाहिए ।
- जो सूचना को लोगों के पास पहुँचने के साधन बताये जैसे सूचना का कुछ नजदीकी जगहों पर मिलना । डाकघर, राशन दुकान, पंचायत घर इत्यादि में आवश्यक सूचनाएँ मिलनी चाहिए ।
- जो यह तय करे कि सूचना न मिलने पर क्या कदम उठाये जाएंगे ।

ये सब कुछ स्पष्ट करने के लिए सूचना के अधिकार पर एक कानून की आवश्यकता थी । इस कानून का मसौदा अब बन गया है, और संसद में पेश किया गया है । संसद मे रखे कानून के मसौदे को विधेयक कहते हैं । इस मसौदे का नाम है - सूचना का अधिकार विधेयक - २००५

''चोरीवाड़ा घणा हो गयो रे, कोई तो मुँह को खोलो।''

यह पुकार है राजस्थान के लोगों की ! चोरीवाड़ा, या भ्रष्टाचार के विरोध में राजस्थान के लोगों ने मुँह खोला, तो सरकार को सुनना ही पड़ा । सूचना का अधिकार केवल शिक्षित या शहरी लोगों का मामला नहीं है, ऐसा राजस्थान की कहानी से पता चला...

मजदूर किसान शक्ति संगठन (एस०के०एस०एस०) करीब दस साल से गाँववासियों के साथ काम कर रही एक संस्था है । राजसमंड जिले के लोग न्यूनतम मज़दूरी सहकारी दुकानों और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर काम कर रहे थे । अपने काम के दौरान उन्हें पता चला कि कई प्रकार की बड़ी और छोटी विकास परियोजनाएं व स्कीमें गाँव में लागू की जा रही थी । लेकिन एक नज़र घुमा कर देखने से साफ़ पता चलता कि कोई विकास का कार्य नहीं हुआ था । एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने आ खड़ा हुआ ''तो फिर विकास के नाम पर आने वाले पैसे गये कहाँ'' इस प्रश्न से बहुत दूर यह आभास नहीं था कि अगर विकास के लिये अंकित धनराशि के गबन का हिसाब लगाया जाए, तो हवाला जैसे बड़े से बड़े भ्रष्टाचार कांड भी उसके आगे इक्कनी दुवन्नी वाले मामले लगेंगे । और यह पैसा तो गरीब से गरीब वर्ग के लिये था ! गाँववासियों को आभास हुआ कि भ्रष्टाचार कोई दूर की, ''कहीं'' होने वाली चीज़ नहीं है । वह उनसे और उनके जीवन से गहरा संबंध रखती है । ऐसे शुरू हुआ राजस्थान का ''सूचना का अधिकार'' अभियान । राजस्थान के लोग जानना चाहते थे अगर विकास योजना में लोगों को मज़दूरी दी गयी है तो वे मस्टर रोल देख सकते हैं, क्या? यदि सड़के बनी हैं, तो कहाँ ? योजना के लिये कितने पैसे आये, कितने खर्च हुए?

लोगों ने यह बात समझ ली कि जैसे ज़मीन के मामलों में 'कागज़' का सबूत ज़रूरी है, वैसे ही सरकारी कागज़ातों की कापियाँ होने से, भ्रष्टाचार का सबूत मिलता है, और शासन का सामना किया जा सकता है। एम०के०एस०एस० का संघर्ष फैलता गया और सरकार पर एक दबाव बन गया । सरकार लोगों को सूचना का अधिकार देने के लिये मजबूर हो गई । पंचायती राज अधिनियम के नियमों का संशोधन हुआ कि पंचायत से लोगों को सूचना लेने का अधिकार है । यह बहुत बड़ी जीत थी, पर एक सीमित जीत थी । एक विस्तृत अधिकार के संघर्ष का बीज जो एम०के०एस०एस० ने बोया था, गरबों को हक़दारी, अधिकार दिलाने की मुहिम छेड़ी थी, शासन प्रशासन की जवाबदेही, पारदर्शिता, लोकतंत्र की मजबूती तथा सुशासन का सपना देखा था उसी का परिणाम है - सूचना का अधिकार विधेयक - २००५ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५
की
प्रमुख विशेषताएँ

१. सूचना का अधिकार का मतलब है...

- हक़ के तौर पर सूचना माँगना और उसका दिया जाना - सूचना का अधिकार कहलाता है ।
- यह एक मौलिक अधिकार है, जो हमारे संविधान का हिस्सा है ।
- जीवन की रक्षा के लिये व निजी स्वतंत्रता के लिए सूचना अति आवश्यक है -इसलिए यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद २१ में निहित है ।
- किसी विषय के बारे में अपनी राय देने के लिए या विरोध प्रकट करने के लिये सूचना का होना अति आवश्यक है - इसलिए यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद १९ (१) में निहित है ।

२. सूचना का अधिकार कानून -

- सरकारी निकायों से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है ।
- आमतौर पर अधिकारियों को सूचना देने के लिए बाध्य करता है ।
- सूचना न मिलने के संदर्भ में नागरिकों को सुनवाई का मौका उपलब्ध कराता है ।

३. इतने प्रकार की आप सूचनाएँ माँग सकते हैं -

- अभिलेख
- दस्तावेज़
- ज्ञापन
- ई-मेल
- मत
- सलाह
- आदेश
- नमूने
- रिपोर्ट
- प्रेस विज्ञप्ति
- परिपत्र (सर्कुलर)
- संविदा (कॉंट्रेक्ट)
- क़ागज़पत्र
- लागबुक
- मॉडल और आंकड़ों संबंधी सामग्री जो इलेक्ट्रानिक रूप में है तथा निजी निकायों से संबंधित ऐसी सूचना जो किसी लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी अन्य कानून के ज़रिये हासिल की जा सकती है ।

४. कैसा अधिकार ?

- निर्माण कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार ।
- दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण (एक्स्ट्राक्ट) या प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार ।
- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार ।

- डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रूप में या प्रिन्टाउट के माध्यम से या कम्प्यूटर में भंडारित की गयी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार ।

५. विस्तार और लागू करने की समय सीमा

- संपूर्ण भारत में (जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय) (राज्य का अपना सूचना स्वतंत्रता अधिनियम, २००४ में पारित हुआ ।)
- केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा गठित या वित्तपोषित (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में) सभी निकायों पर लागू होगा ।
- गैर सरकारी संगठन जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है, या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित है ।

समय सीमा –

- कुछ मुख्य प्रावधान तुरंत लागू होंगे ।
- शेष उपबंध विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के १२० वें दिन से लागू होंगे । अक्टूबर माह में राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है । सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, २००२ को निरस्त किया जाएगा ।

सक्षम प्राधिकारी

- लोक सभा/राज्य सभा – अध्यक्ष/सभापति
- विधान सभा/परिषद – अध्यक्ष/सभापति
- सर्वोच्च/उच्च न्यायालय – मुख्य न्यायाधीश
- संविधान के तहत स्थापित/गठित अन्य निकायों के लिए – राष्ट्रपति/राज्यपाल

लोक प्राधिकरण –

- संविधान या संसद/विधान मण्डल द्वारा बनाये गये किसी क़ानून के तहत स्थापित निकाय।
- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के तहत स्थापित कोई निकाय ।
- केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्ववाले या उनके द्वारा नियंत्रित कोई निकाय ।

६. लोक सूचना अधिकारी

- प्रत्येक लोक प्राधिकरण में सभी प्रशासनिक इकाईयों तथा उसके अधीन कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारियों को तुरन्त नियुक्त करना होगा ।
- उपमण्डल या अन्य उपजिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारियों को तुरन्त नियुक्त करना होगा ।

७. लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य

- सूचना के लिये आवेदन पत्रों की स्वीकृति व समय पर सूचना उपलब्ध कराना ।
- नेत्रहीन जैसे विकलांग या अनपढ़ व्यक्तियों को आवेदन पत्र लिखने में मदद करना ।
- यथा योग्य, आवेदक को माँगे गये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराना ।
- अगर माँगी गयी सूचना देने योग्य नहीं है तो लिखित रूप में आवेदक को कारण बताते हुए अपीलीय निकाय के बारे में विवरण उपलब्ध कराना ।
- अगर मांगी गयी सूचना किसी दूसरे लोक प्राधिकरण में उपलब्ध है, तो ५ दिनों के अन्दर उस प्राधिकरण को आवेदन पत्र भेजना और आवेदक को इस बारे में लिखित रूप में सूचित करना ।

८. फ़ीस

- आवेदन शुल्क की रकम संबंधित सरकार तय करेगी ।
- गरीबी रेखा के नीचे गुज़रबसर करने वाले व्यक्तियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में अधिक फ़ीस मांगी जा सकती है । लेकिन दोनों संदर्भों में फ़ीस न्यायसंगत होनी चाहिए ।
- सूचना देने के लिये लगनेवाले लागत की रकम किस आधार पर तय की गयी - यह विवरण लोक सूचना अधिकारी को लिखित रूप में बताना होगा ।
- अगर मांगी गयी फ़ीस अधिक लगे तो आवेदक अपीलीय निकाय से शिकायत कर सकता है ।
- अगर समय सीमा के अन्दर सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी तो बिना शुल्क के वह सूचना देनी होगी ।

९. इस तरह आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं

- आवेदन पत्र स्वयं जमा करना होगा, डाक या इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा भी भेजा सकता है ⇒ आवेदन पत्र अंग्रेज़ी या स्थानीय राजभाषा में लिखना होगा ।
- सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा ⇒ ३० दिन ।
- अगर सूचना किसी व्यक्ति की जान या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे ⇒ ४८ घंटों के अन्दर उपलब्ध कराना होगा ।
- अगर सूचना किसी तीसरे पक्ष/व्यक्ति द्वारा गोपनीय करार कर लोक प्राधिकरण को दिया गया है ⇒ ५ दिनों के अन्दर उस पक्ष/व्यक्ति का निवेदन आमंत्रित करना होगा ।
- अगर आवेदन पर ३० दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं होती है ⇒ आवेदन की मनाही समझी जायेगी तथा इस पर अपील किया जा सकता है ।

१०. अपीलीय निकाय	
प्रथम अपील (विभागीय स्तर पर)	लोक सूचना अधिकारी से बड़े ओहदे के विभागीय अधिकारी की सुनवाई करेंगे । (सूचना न देने का आदेश पत्र की तिथि के ३० दिनों के अंदर अपील करना होगा)
द्वितीय अपील (विभाग से स्वतंत्र स्तर पर)	केन्द्र या राज्य सूचना आयोग सुनवाई करेगा । (सूचना न देने के निर्णय को जायज़ करार देने वाले आदेश पत्र की तिथि ६० दिन के अन्दर अपील करना होगा)

११. सूचना आयोग का आदेश आबद्धकर होगा

आवेदन को अस्वीकार करने की न्यायोचितता को साबित करने का भार लोक सूचना अधिकारी का होगा । निर्णय लेने के लिये समय सीमा ३० दिन (दोनो स्तरों पर) सूचना आयोग के निर्णय को केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न कि सिविल न्यायालयों ?

१२. केन्द्र/राज्य सूचना आयोग

- सूचना आयोग केन्द्र और राज्य के स्तरों पर स्थापित होंगे ।
- हर आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम १० सूचना आयुक्त नियुक्त होंगे (५ साल की अवधि)
- केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा । केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राष्ट्र के अन्य भागों में कार्यालय खोले जा सकते हैं ।
- राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय और अन्य कार्यालय राज्य के किसी भी स्थान पर खोले जा सकते हैं ।
- बिना किसी प्राधिकरण के हस्तक्षेप के सूचना आयोग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे ।
- सूचना आयुक्तों की नियुक्ति (केन्द्र में) राष्ट्रपति और (राज्यों में) राज्यपाल द्वारा की जायेगी ।

१३. सूचना आयोग - शक्तियाँ और कर्त्तव्य

इन मामलों में शिकायतों की सुनवाई -

- अगर किसी लोक प्राधिकरण/कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया स्तब्ध है ।

- अगर प्रथम स्तरीय अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी के सूचना न देने के आदेश का समर्थन किया है ।
- अगर समय सीमा के अंदर सूचना नहीं मिली या आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।
- अगर मांगी गयी फ़ीस के खिलाफ़ आवेदक अनुचितता के आधार पर अपील करें ।
- अगर आवेदक यह विश्वास करता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना अपूर्ण, मिथ्यापूर्ण या गुमराह करने वाली है ।
- इस कानून के तहत सूचना प्राप्त करने से संबंधित कोई अन्य मामला ।

१४. केन्द्र/राज्य सूचना आयोग

- केन्द्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री सिफ़ारिश समिति के अध्यक्ष होंगे । अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट स्तरीय मंत्री और विपक्ष के नेता समिति के अन्य सदस्य होंगे ।
- सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले

प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।	
वेतन और भत्ता :-	
♦ केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान
♦ अन्य केन्द्रीय सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त के समान
♦ अन्य राज्य सूचना आयुक्त	राज्य के मुख्य सचिव के समान

१५. सूचना आयोग - शक्तियाँ

इन मामलों की जाँच करने के लिए सूचना आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ दी गई हैं -

- किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और शपथ पर लिखित या मौखिक रूप में साक्ष्य देने पर मजबूर करना ।
- दस्तावेज़ों का प्रकटीकरण और निरीक्षण करवाना ।
- एफिडेविट पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना ।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मांगना ।
- साक्षियों या दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए समन जारी करना ।

- कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

सूचना आयोग - शक्तियाँ व शास्तियाँ ...

- अगर किसी लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है तो ऐसे अधिकारी को नियुक्त करना ।
- अगर अनुचित कारणों के आधार पर सूचना देने से इंकार किया गया है जिसकी वजह से आवेदक को नुकसान पहुँचता हो तो इसकी भरपाई का आदेश देना ।
- इस कानून के पालन के लिए उठाये गये कदमों के बारे में हर लोक प्राधिकरण से सालाना रिपोर्ट मांगना ।
- इस क़ानून में बताये गये बिन्दुओं पर स्वयं घोषित सूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए लोक प्राधिकरण को प्रभावित करना ।
- अधिकारियों को कानून के पालन के लिये प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ।
- सूचना देने की प्रक्रिया को सुलभ बनाने की दृष्टि से लोक प्राधिकरण को अभिलेखों के रखे जाने, प्रबंध या उनके विनाश से संबंधित पद्धतियों में सुधार लाना ।
- दोषी लोक सूचना अधिकारियों के खिलाफ़ जुर्माने का आदेश देना ।

सूचना आयोग इन कारणों के लिए लोक सूचना अधिकारियों पर रु० २५०/- प्रति दिन से लेकर अधिकतम, रु० २५.०००/- तक जुर्माने का आदेश दे सकता है

- आवेदन लेने से इंकार करना ।
- विनिर्दिष्ट समय के अन्दर सूचना न देना ।
- असद्भावपूर्वक सूचना देने से इंकार करना ।
- जानबूझकर गलत, अपूर्ण या गुमराह करने वाली सूचना देना
- मांगी गयी सूचना को नष्ट कर देना ।
- किसी अन्य तरीके से सूचना देने में बाधा डालना ।

इस कानून के लगातार उल्लघंन के लिए लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ संबंधित सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

१६. किस प्रकार की सूचना नहीं मिलेगी

निम्नलिखित सूचना देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है -

- जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता, अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित और विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।
- जो किसी अपराध करने के लिये उकसाता हो ।
- जिसका प्रकटन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की निन्दा होती है ।
- जिसके प्रकटन से संसद या विधान मण्डल के विशेषाधिकार भंग हो सकते हों ।
- जो वाणिज्यिक और व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा से संबंधित है - जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुँचता हो ।

- जो सूचना किसी व्यक्ति को उसकी वैश्रासिक नातेदारी से उपलब्ध हुआ हो ।
- जो सूचना किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हुआ हो ।
- जो पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विश्वास में दी गई सूचना के स्रोत को बेनकाब करता हो ।
- जिसके प्रकटन से अपराधों के तहकीकात, अपराधियों की गिरफ़्तारी या उनके खिलाफ़ मुकदमा चलाने में बाधा उत्पन्न होता हो ।
- कैबिनेट के कागज़पत्र जिसमें शामिल हैं - मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख ।

  (लेकिन मंत्रिपरिषद के निर्णयों को कारण सहित उस सामग्री को जिनके आधार पर वे निर्णय लिये गये हैं, विषय को पूरा समाप्त होने के बाद, जनता को उपलब्ध कराया जायेगा)
- जो व्यक्तिगत सूचना है जिसका किसी लोकहित या क्रियाकलाप से संबंध नहीं है ।

इन निकायों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है

- IB & RAW
- Directorate of Revenue Intelligence
- Central Economic Intelligence Bureau
- Directorate of Enforcement
- Narcotics control Bureau
- Aviation Research Centre
- Special Frontier Force
- CRPF, ITBP, CISF, NSG
- Special Service Bureau
- Assam Rifles
- Special Branch (CID) Andaman and Nicobar
- Crime Branch (CID) Dadra and Nagar Haveli
- Special Branch Lakshadweep Police

और राज्य के अन्य आसूचना और सुरक्षा संगठन जो भविष्य में सूचित किये जायेंगे।

लेकिन भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के बारे में सूचना संबंधित आयोग के निर्देश पर दी जायेगी।
समय सीमा - ४५ दिन

१७. तीसरे पक्षकार

- अर्थात सूचना मांगनेवाले नागरिक को छोड़ कोई अन्य नागरिक । इस में कोई लोक प्राधिकरण भी शामिल है ।
- अगर सूचना किसी तीसरे पक्ष/व्यक्ति द्वारा गोपनीय करार कर लोक प्राधिकरण को दिया गया है तो ५ दिनों के अंदर उस पक्ष/व्यक्ति का निवदेन आमंत्रित करना होगा ।
- आमंत्रण मिलने के १० दिनों के अंदर लिखित या मौखिक रूप में लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना देने के खिलाफ़ अपना निवेदन प्रस्तुत करना होगा ।
- दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात लोक सूचना अधिकारी आवेदक को वह सूचना देने या न देने का निर्णय लेगा ।

- तीसरे पक्षकार को दोनों स्तरों पर लोक सूचना अधिकारी के आदेश के खिलाफ़ अपील करने का हक़ होगा ।

१८. सूचना की खुलासा के लिये मार्गदर्शी सूत्र

- ऐसी सूचना जिसे संसद या विधान मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता उसे किसी व्यक्ति को देने से इंकार नहीं किया जायेगा ।
- अगर मांगी गयी सूचना धारा ८ में बताये गये छूटों के दायरे में आती है लेकिन उसके खुलासा करने में लोक हित- लोक प्राधिकारण को होनेवाले नुकसान से अधिक है - तो वह सूचना दी जायेगी ।
- अगर छूट के दायरे में आनेवाले किसी अभिलेख में ऐसे भाग हैं जिन पर कोई छूट लागू नहीं होता तो मात्र वह सूचना दी जा सकती है ।
- बीस साल बाद किसी भी घटना या विषय पर यह छूट लागू नहीं होंगे और उनसे संबंधित सूचना दी जायेगी सिवाय इनके -
- भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और आर्थिक तथा वैज्ञानिक हित से संबंधित सूचना, किसी अपराध करने के लिए उकसानेवाली जानकारी संसद या विधान मण्डल के विशेषाधिकार से सम्बन्धित सूचना और कैबिनेट के कागज़पत्र, मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख ।

१९. लोक प्राधिकरण की बाध्यताएँ

- नागरिकों की सूचना तक पहुँच सुलभ बनाने के लिये अभिलेखों के रखरखाव में सुधार कर, उन्हें सूचीबद्ध और यथा योग्य कम्प्यूटरीकृत करना होगा ।
  प्रत्येक लोक प्राधिकरण को इन बिन्दुओं पर तुरन्त सूचना की स्वयं घोषणा करनी होगी ।
- अपने संगठन की विशिटताएं, कर्तव्य और कार्यों के बारे में जानकारी ।
- अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य ।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए की जानेवाली प्रक्रिया ।
- अपने कर्तव्यों के पालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड ।
- अपने अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किये जानेवाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अन्य अभिलेख ।
- अपने पास या अपने नियंत्रण में उपलब्ध सभी के प्रवर्गों का विवरण ।
- अपने नीतियों की संरचना और कार्यान्वयन के संबंध में जनता से परामर्श करने के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण ।
- अपने कामकाज़ से संबंधित दो से अधिक सदस्यों वाली सलाहकार बोर्ड, समितियों और परिषदों के बारे में विवरण तथा यह बताना होगा कि क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली होगी और क्या उनकी सभा के मिनिट्स तक जनता की पहुँच होगी ।

- अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की डायरेक्टरी, उनके मासिक वेतन और अपने विनियमों के मुताबित दिये जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण ।
- सभी योजनाओं, प्रस्तावित खर्च और किये गये वितरण तथा निधियों के आवंटन की रिपोर्ट ।
- सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें हितग्राहियों के नाम और आवंटित राशि के बारे में विवरण शामिल हैं ।
- अपने द्वारा दिये गये रियायतों, पर्मिट या प्राधिकारों को पानेवाले व्यक्तियों के नाम ।
- अपने पास इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना का ब्यौरा ।
- अपने लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम आदि का विवरण ।
- ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए ।

२०. केन्द्र/राज्य सरकार के अन्य कर्तव्य

वित्तीय व अन्य संसाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाने होंगे -

- अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग करने में जनता के लिए, विशेषकर उपेक्षित समुदायों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना ।
- लोक प्राधिकरणों को इन कार्यक्रमों में और इनके आयोजन में भाग लेने और इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए बढ़ावा देना ।
- लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और इस संबंध में प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना ।
- इस क़ानून के प्रारम्भ होने के १८ महीनों के अंदर राजभाषा में आम़ जनता के लिए इस कानून के बारे में मार्गदर्शिका तैयार करना ।
- इस कानून के पालन के लिए नियमित अंतरालों पर निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रकाशित करना ।

तथा इन प्रकाशनों को हर साल अपडेट करना होगा

इसके अलावा

- महत्वपूर्ण नीतियों की रचना करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले विनिश्चयों को लेते समय तत्संबंधी सभी तथ्यों को प्रकाशित करना ।
- अपने प्रशासनिक या न्यायिकल्प निर्णयों के लिये सभी प्रभावित व्यक्तियों को बताना ।

२१. केन्द्र/राज्य सूचना आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया

- किसी सूचना आयुक्त को कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति (केन्द्रीय स्तर पर) या राज्यपाल (राज्य स्तर पर) के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है ।
  (लेकिन इस आरोप की पुष्टि के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करवाना आवश्यक है।)

- बिना उच्चतम न्यायालय की जांच के निम्नलिखित कारणों के लिये किसी भी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति (केन्द्रीय स्तर पर) या राज्यपाल (राज्य स्तर पर) हटाने का आदेश दे सकते हैं -
- अगर दिवालिया करार दिया गया है
- ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है जो राष्ट्रपति/राज्यपाल के राय में नैतिक पतन का सबूत है।
- कार्यावधि में किसी दूसरे वेतनवाली नौकरी में लगा हुआ है।
- मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर रहने योग्य नहीं है।
- ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे सूचना आयुक्त के रूप में काम करने में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

२२. सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की कुछ प्रमुख अंश :-

- केन्द्रीय सरकार, पंचायती राज संस्थाएँ तथा ऐसे संगठन व संस्थाएँ (गैर सरकारी) जिनका गठन, नियंत्रण और वित्तीय सहयोग राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा हो रहा है, से आप सूचना की मांग कर सकते हैं । धारा २ (क) और (ज) ।
- प्रत्येक विभाग से एक या अधिक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जायेगें, जो लोगों से सूचना सम्बन्धी फार्म प्राप्त करेगें व निर्धारित अवधि में सूचनाएँ उपलब्ध करायेगें । धारा ५(२)
- इसके अलावा प्रत्येक उप जिलास्तर पर केन्द्रीय व राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे जिनसे सूचना भी मांगी जा सकती है और लोक सूचना अधिकारी के निर्णयों के विरूद्ध अपील की जा सकती हैं । यह अपील वे सम्बन्धित अधिकारियों को भेजेगें धारा ५ (२)
- सूचना चाहने वाला व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । धारा ६ (१)
- जब प्रार्थना पत्र अलिखित हो तो लोक सूचना अधिकारी प्रार्थना को मौखिक रूप से सुनकर लिखने में मदद करेगा । धारा ६ (१)
- संवेदनात्मक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को सम्बन्धित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त करने में मदद करेगा जो निरीक्षण करने के लिए जरूरी है । धारा ७ (४)
- प्रार्थी को प्रार्थना पत्र देने के लिए किसी कारण अथवा व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। केवल सम्पर्क पता देना ही आवश्यक है । धारा ६ (२)
- सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित सामान्य शुल्क का भुगतान करना होगा।
- कोई फीस नहीं ली जायेगी :-
  (अ) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों से । धारा ७ (५)
  (ब) समय सीमा के बाद सूचना उपलब्ध कराने पर । धारा ७ (६)

- लोक सूचना अधिकारी तीस दिवस में सूचना उपलब्ध करायेगा अथवा कारण सहित मना करेगा। किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बन्धित जानकारी ४८ घण्टे के भीतर उपलब्ध करानी होगी । धारा ७ (१)
- यह सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से ३५ दिवस में प्राप्त की जा सकती है । धारा ५ (२)
- यदि किसी व्यक्ति को लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना नहीं दी जाती है अथवा इन्कार कर दिया जाता है और यदि प्रार्थी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह उसके ऊपर वाले अधिकारी को ३० दिवस में प्रथम अपील कर सकता है । धारा १६ (२)
- यदि अपील स्वीकृत होती है तो सूचना उपलब्ध करानी हेागी, यदि अस्वीकृत होती है तो प्रार्थी ३० दिवस में दूसरी अपील कर सकता है :-
  (अ) केन्द्रीय सरकार के विभागों अथवा सम्बन्धित संस्थाओं के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग
  (ब) राज्य सरकार के विभागों अथवा सम्बन्धित संस्थाओं के लिए राज्य सूचना आयोग । धारा १६ (३)
- यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध कराने अथवा निरस्ती आदेश देने में असफल रहता है तो लोक सूचना अधिकारी २५० रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम २५,००० रूपये तक हर्जाने का भुगतान करेगा । धारा २० (१)
- सूचना आयोग सम्बन्धित अधिकारी/विभाग को किसी भी शिकायतकर्ता को अवैध रूप से सूचना उपलब्ध न कराने अथवा देरी के लिए प्रार्थी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बाध्य कर सकता है । धारा १६ (८ - ख)
- लोक सूचना अधिकारी यदि :-

  १. बिना किसी उपयुक्त कारण अथवा लगातार सूचना का प्रार्थना पत्र नहीं लेता है अथवा निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है ।
  २. या दुर्भावनावश सूचना का प्रार्थना पत्र लेने से इंकार करता है ।
  ३. या जान बूझकर अपूर्ण, अधूरी अथवा भ्रमित करने वाली सूचना देता है ।
  ४. या प्रार्थना पत्र में मांगी गई सूचनाएँ नष्ट करता है ।
  ५. या अन्य किसी तरह सूचना को देने में अवरोध उत्पन्न करता है ।

  ऐसी स्थिति में सूचना आयोग सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश कर सकता है । धारा २० (२)

सुशासन के मुख्य पहलु

- पारदर्शिता
- उत्तरदायित्व
- जवाबदेही
- भागीदारी तथा
- लेगों की आवश्वकताओं के प्रति संवेदनशीलता

''सुशासन, मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिये एक उपयुक्त वातावरण निर्मित करता है और आर्थिक प्रगति तथा टिकाऊ मानव विकास को बढ़ावा देता है ।'' *(संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के वेबसाइट से उद्धत)*

सुशासन का मतलब ''लोगों के लिये ऐसी नीतियाँ व योजनाओं का बनाना और क्रियान्वित करना है जो न्यायसंगत, पारदर्शी, भेदभावरहित, सामाजिक रूप से संवेदनशील और जनभागीदारी जैसे मूल्यों से सम्पन्न हो तथा मुख्य रूप से लोगों के प्रति जवाबदेह हो । सुशासन मानव कल्याण और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है । कुशासन न केवल व्यक्गित क्षमताओं को कमज़ोर करता है बल्कि जीवन के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बने संस्थागत और सामाजिक क्षमताओं को भी नष्ट कर देता है ।'' *(योजना आयोग के दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ से उद्धत)*

सुशासन और सूचना का अधिकार

सुशासन १० वीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अति आवश्यक है ।
विकास कार्यों के आयोजन, क्रियान्वयन तथा निगरानी के सभी स्तरों पर जन भागीदारी अति आवश्यक है । विकास की नीति और प्रक्रियाओं में सुधार तब प्रभावशाली होंगे जब लोगों को उन सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी । अगर सूचना को अधिकार के तौर पर सभी नागरिकों को उपलब्ध करायी जाये तो प्रशासन के लिये विकास योजनाओं का कार्यान्वयन आसान हो जायेगा । *(योजना आयोग के दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ के उद्धत)*

(लोक सभा द्वारा तारीख ११ मई, २००५ को पारित रूप में)
(२००४ का विधेयक संख्यांक १०७ -सी)

(दि राईट टु इनफारर्मेश्न बिल, २००५ का हिन्दी अनुवाद)

सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए;
लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए;
नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने,
एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का
गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक
विषयों का उपबंध करने के लिए
विधेयक ।

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायित्व बनाने के लिए अनिवार्य है ;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है;

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय १

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ है ।

(२) इसका विस्तार जम्मू-काश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है ।

(३) धारा ४ की उपधारा (१), धारा ५ की उपधारा (१) और उपधारा (२), धारा १२, धारा १३, धारा १५, धारा १६, धारा २४, धारा २७ और धारा २८ के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे ।

परिभाषाएं :

२. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबध में जो -

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्त-पोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ।

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्त-पोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है ।

(ख) ''केन्द्रीय सूचना आयोग'' से धारा १२ की उपधारा (१) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है ।

(ग) ''केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (१) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(घ) ''मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''सूचना आयुक्त'' से धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड.) ''सक्षम अधिकारी'' से अभिप्रेत है -

(i) किसी राज्य की विधानसभा या ऐसी सभा वाले किसी राज्यक्षेत्र की दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या विधान परिषद की दशा में सभापति;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमुर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद २३९ के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(च) ''सूचना'' से किसी रूप में कोई ऐसी सामग्री, जिसके अन्तर्गत किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज़, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज़पत्र, नमूने, माडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री और किसी प्राईवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सम्मिलित है, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, अभिप्रेत है;

(छ) ''विहित'' से, यथास्थिति समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

(ज) ''लोक प्राधिकारी'' से, -

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गये आदेश द्वारा,

स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई विधियों द्वारा,-

(i) पूर्णतया वित्त-पोषित कोई गैर सरकारी संगठन;

(ii) कोई अन्य निकाय भी हैं;

(झ) ''अभिलेख'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(i) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;

(ii) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच या प्रतिकृति प्रति;

(iii) ऐसी माइक्रोफिल्म में समाविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुररूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); और

(vi) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(ञ) ''सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है –

(i) कृति, दस्तावेज़ों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेज़ों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना ।

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिन्टआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित की जाती है, अभिप्राप्त करना; या

(ट) ''राज्य सूचना आयोग'' से धारा १५ की उपधारा (१) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''राज्य सूचना आयुक्त'' से धारा १५ की उपधारा (३) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ।

(ड) ''राज्य लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (१) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(ढ) ''तीसरा पक्षकार'' से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई नागरिक अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है ।

अध्याय २
सूचना का अधिकार और प्राधिकारियों की बाध्यताएं

सूचना का अधिकार। ३. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं : ४. (१) प्रत्येक लोक प्राधिकारी -

(क) सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध अपने सभी अभिलेखों को किसी ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुनकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर है और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए हैं, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्ध है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुनकर बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर, -

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;

(viii) ऐसे बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों की कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

(xiii) अपने द्वार अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां, जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा;

(२) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरन्तर यह प्रयास होगा कि यह स्वप्रेरणा से संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है, नियमित अंतरालों पर जनता को उतनी सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपधारा (१) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलम्ब हो ।

(३) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जायेगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो सकें ।

(४) सभी सामग्री को, उस क्षेत्र में लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा। तथा सूचना तक, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक प्रारूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज पहुंच होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण : उपधारा (३) या उपधारा (४) के प्रयोजनों के लिए, ''प्रसारित'' से सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य युक्ति के माध्यम से जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है।

लोक सूचना अधिकारियों का पद नाम ५. (१) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर उतने अधिकारियों को, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों, सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में अभिहित करेगा ।

(२) उपधारा (१) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमण्डल स्तर पर अन्य उपजिला स्तर पर इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपीलों के लिए आवेदन प्राप्त करने और तुरन्त उसे या धारा १६ की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अग्रेषित करने के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगा;

परन्तु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी ।

(३) प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा ।

(४) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(५) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (४) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य

लोक — सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधि

नियम के — उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधि

कारी को — यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना

अधिकारी — समझा जाएगा ।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध ।

६ (१) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या क्षेत्र की राजभाषा जिसमें आवेदन किया जा रहा है, ऐसी फ़ीस के साथ, जो विहित की जाए, –

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी;

को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशष्टियां विनिर्दिष्ट

करते हुए — अनुरोध करेगा ।

परन्तु जहाँ ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से

देगा, — जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(२) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने वाले अनुरोध के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को,

सिवाय — उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की

अपेक्षा नहीं की — जाएगी।

(३) जहां, किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किया जाता है, –

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित की गई है; या

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसकों ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के संबंध में आवेदक को तुरंत सूचना देगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा ।

अनुरोधों का निपटारा ।

७. (१) धारा ५ की उपधारा (२) के परंतुक या धारा ६ की उपधारा (३) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा ६ के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फ़ीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा ८ और धारा ९ में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :

परन्तु जहाँ मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी :

(२) यदि लोक सूचना अधिकारी, उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि अनुरोध को नामंजूर कर दिया ।

(३) जहाँ, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फ़ीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, –

(क) उपधारा (१) के अधीन विहित फीस के अनुसरण में रकम निकालने के लिए की गई संगणनाओं के साथ उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना

उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे देते हुए उससे उस फीस जमा करने का अनुरोध करते हुए संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएग;

(ख) प्रभारित फीस की राशि या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्रारूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्रारूप भी है, विनिश्चय के पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा ।

(४) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना सम्मिलित है, जो समुचित हो ।

(५) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (६) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए ।

परन्तु धारा ६ की उपधारा (१) और धारा ७ की उपधारा (१) और उपधारा (५) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, कोई फीस नहीं ली जाएगी, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ।

(६) उपधारा (५) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।

(७) उपधारा (१) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा ११ के अधीन किसी तीसरे पक्षकार द्वारा किए गये अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा ।

(८) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (२) के अधीन अस्वीकृत किया गया समझा गया है, वहां लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,

(i) ऐसी अस्वीकृति के कारण;

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी; और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां;

संसूचित करेगा

(६) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि यह लोक प्राधिकारी के संशोधनों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो ।

सूचना को प्रकट किए जाने से छूट ।

८. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निम्नलिखित सूचना को प्रकट करने से छूट दी जाएगी, अर्थात; :-

(क) सूचना जिसके प्रकटन से -

(i) भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित-विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो; या

(ii) किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकटन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता हो;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मण्डल के विशेषाधिकार भंग हो सकते हों;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा, सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है :

परन्तु यह कि ऐसी सूचना को प्रकट किया जा सकेगा यदि लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित समाविष्ट है;

(ड) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना :

परन्तु यह कि ऐसी सूचना को प्रकट किया जा सकेगा यदि लोक सूचना अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में आवश्यक है

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।

सुरक्षा विश्वास में दी होगा;

(छ) सूचना, जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक के लिए या सूचना के संसाधन की पहचान करने में या गई सहायता या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए खतरा

करने

(ज) सूचना, जिसके प्रकट करने से अन्वेषण या अपराधियों के गिरफ्तार या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी;

(झ) मंत्रिमण्डल के कागज़पत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद् के सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है :

सामग्री जाने और ा कराया

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय उनके कारण तथा यह जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए विषय को पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध जाएगा :

परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में सूचीबद्ध छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे।

किसी व्यष्टि की एकान्तता

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकट करने का लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं है या जिससे पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं होता है :

परन्तु यह कि ऐसी सूचना प्रकट की जा सकेगी यदि यथास्थिति सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है ।

२. ऐसी सूचना से, जिसको, यथास्थिति, संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जाएगा ।

३. कोई लोक प्राधिकारी, उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट छूटों में किसी बात के होते हुए भी, सूचना तक पहुंच को अनुज्ञात कर सकेगा, यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित, लोकप्राधिकारी की नुकसान से अधिक है ।

४. उपधारा (१) के खण्ड (क) या खण्ड (झ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी घटना, वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको धारा ६ के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, दस वर्ष पूर्व हुई है या होती है, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगीः

परन्तु यह कि जहां उस तारीख से जिसको दस वर्ष की उपलब्धि को संगणित किया जाना है, अद्‌भूत कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, वहां केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

कतिपय मामलों में पहुंच को अस्वीकृत करन के आधार ।

९. धारा ८ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना के किसी अनुरोध को अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के ऐसे अनुरोध में राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विद्यमान प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित है।

पृथक्करणीयता ।

१०. (१) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि यह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किये जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, अभिलेख के उस भाग तक पहुंच अनुदत्त की जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, उचित रूप से पृथक की जा सकती है।

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी, निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा -

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को, जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) विनिश्चय के कारण जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री का निर्देश देते हुए देश पर वे विनिश्चय आधारित थे कोई निष्कर्ष भी है;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक के निक्षेप करने की अपेक्षा है; और

(ड.) सूचना के भाग के अप्रकटन की बाबत विनिश्चय के पुनर्विलोकन के संबंध में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच का रूप जिसके अन्तर्गत यथास्थिति, धारा १६ की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य रूप भी है ।

पर व्यक्ति की सूचना ११. (१) जहां, किसी यथाशक्ति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बाबत कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन की बाबत कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा ।

दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा । परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग की बाबत कोई सूचना तामील की जाती है, वहां ऐसे व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा ।

पर

(३) धारा ७ में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा ६ के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर, यदि पर व्यक्ति को उपधारा (२) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा ।

विनिश्चय किया जाए या

(४) उपधारा (३) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा १९ के अधीन उक्त विनिश्चय के विरूद्ध अपील करने का हकदार है ।

अध्याय ३
केन्द्रीय सूचना आयोग

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन ।

१२. (१) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात, इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए, एक निकाय का गठन करेगी ।

(२) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(क) मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतने केन्द्रीय सूचना उपायुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(३) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना उपायुक्त की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी -

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) लोकसभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री ।

स्पष्टीकरण : शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी सबसे बड़े एकल समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा ।

"(४) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से की जा सकती है ।"

(५) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(६) मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, यथास्थिति संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघराज्यक्षेत्र के विधानमंण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ वाला पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

(७) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

पदावधि और सेवा शर्तें । पात्र

१३. (१) सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए नहीं होगा :

परन्तु यह और कि कोई सूचना मुख्य आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(२) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारित करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा १२ की उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट रीति में मुख्य

सूचना

आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और

मुख्य

सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं

होगी ।

(३) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस नियम प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक

शपथ

या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(४) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त को धारा १४ में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(५) (क) मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते वे होंगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है;

(ख) सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते वे होंगी जो निर्वाचन आयुक्त की हैं :

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन (अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के

रूप

में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके

अन्तर्गत पेंशन

का ऐसा कोई भाग भी है, जिसे सारांशिकृत किया गया

था और सेवानिवृत्ति

उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर, सेवानिवृत्ति

फायदों के अन्य रूपों के

समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर

दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य के सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन में से, सेनानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में जिसकी नियुक्ति के पश्चात् उसको अलाभकर रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(६) केन्द्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के अनुपालन के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गये अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त का हटाया जाना ।

१४. (१) उपधारा (३) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किये गये निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(२) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना उपायुक्त को, जिसके विरूद्ध उपधारा (१) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायाल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, किसी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को पद से हटाने का आदेश कर सकेगा, यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, -

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत है; या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण वह पद पर बने रहने के अयोग्य है ;

(ड) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए है, जिनसे किसी सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त के रूप में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(४) यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, किसी रूप में भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से सबंद्ध या उसमें हितबद्ध रहा है या किसी निगमित कम्पनी के सदस्य से अन्यथा किसी रूप में और उसके अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप में उसके लाभ में या उससे प्रोदभूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

अध्याय ४
राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग का गठन । १५. (१) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा - (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी ।

(२) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतने राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं;

(३) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्पाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी;

(i) मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष हेागा;

(ii) विधानसभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट मंत्रिमण्डलीय मंत्री ।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता माना जाएगा ।

(४) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण, अधीक्षण निदेशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाएं या की जा सकती हों ।

(५) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन और शासन में ज्ञान व्यापक और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(६) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ वाला पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नही होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(७) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

पदावधि और सेवा की शर्तें । १६. (१) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारित नहीं करेगा ।

(२) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारित करेगा;

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपने पद रिक्त करने पर धारा १५ की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट रीति में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(३) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(४) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्पाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा;

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा १७ में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(५) (क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसको सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी, जो भारत के निर्वाचन आयुक्त की है ।

(ख) राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी जो राज्य के मुख्य सचिव की है :

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन (अक्षमा या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन मे से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग भी है, जिसे सारांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी हैं, रकम को कम कर दिया जाएगा ।

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त,अपनी नियुक्ति के समय किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या राज्य द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेंतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(६) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और

कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य शर्तें वह होंगी, हो विहित की जाएं ।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य आयुक्त का जाना ।

१७.(१) उपधारा (३) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या सूचना असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतमहटाया न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किये गये निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दे दी हो कि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(२) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को जिसके विरूद्ध उपधारा (१) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है । ऐस निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किये जाने तक उसके पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थिति होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा ।

(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त-

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण वह पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ड) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए है, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(४) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, किसी रूप में, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या हितबद्ध है किसी निगमित कंपनी के सदस्य से अन्यथा किसी

रूप में और उसके अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप में उसके
लाभ में उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा
लेता है तो उसे उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का
दोषी समझा जाएगा ।

अध्याय ५

सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्ति

आयोग की शक्तियां और किसी कृत्य ।

१८. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करें, -

(क) जो यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या यथास्थिति केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा १९ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उसके आवेदन को भेजने के लिए;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है;

(ड) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ।

(२) जहां यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना अयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आध
ार है, वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा ।

शक्तियां संहिता, १९०८ न्यायालय में निहित होती

(३) आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल है अर्थात् : -

शपथ या चीजें पेश

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थिति कराना तथा पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज करने के लिए उनको विवश करना;

(ख) दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(४) यथास्थिति संसद में या राज्य-विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्ही भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा ।

अपील

१९. (१) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा ७ की उपधारा (१) या उपधारा (३) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है :

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि के समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाईल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था ।

(२) जहां अपील धारा ११ के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना के प्रकटन के लिए किए गए किसी आदेश विरूद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति

द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से ३० दिन के भीतर की जाएगी

।

(३) उपधारा (१) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना है या वास्तव में प्राप्त किया गया था नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के होगी :

परन्तु यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा,

यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील

फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था ।"

(४) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का

विनिश्चय, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधि

ात है तो यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग

उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(५) अपील संबंधी किन्ही कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध

ा को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, उस केन्द्रीय लोक

सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा, जिसने

अनुरोध को अस्वीकार किया था ।

(६) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा, जो उसके फाइल किये जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो ।

(७) आयोग का विनिश्चत आबद्धकर होगा ।

(८) अपने विनिश्चय में यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना को निम्नलिखित की शक्ति है -

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधि

ानियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक

हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में

ऐसा अनुरोध किया गया है;

(ii) किसी यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना;

(iv) अभिलेखों के रखे जाने, प्रबंध और उनके विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध

ा में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना;

(vi) धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन अपबन्धित शस्तियों में से कोई शास्ति अधिरोधक करना;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना ।

(९) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा ।

(१०) आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए ।

शास्ति । २०. (१) धारा २३ में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी शिकायत या अपील या विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के कोई आवेदन लेने से इंकार किया है या धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है, या ऐसी सूचना नष्ट कर दी है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में किसी रीति से बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रूपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा ।

(२) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधि

ाकारी, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना नष्ट की है,

जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में किसी भी रीति से बाधा डाली है

वहां वह, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा ।

अध्याय ६

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

२१. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

२२. इस अधिनियम के उपबंधों का, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, १९२३ और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अंसगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा ।

न्यायलयों की अधिकारिता का आदेश वर्जन । प्रश्नगत नहीं किया

२३. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गये किसी आदेश की बाबत कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी को, इस अधिनियम के अधीन अपील से भिन्न किसी रूप में जाएगा ।

अधिनियम का आसूचना कतिपय संगठनों ऐसे संगठनों को लागू न होना । के अनुमोदन से भी, ऐसी जानकारी की जाएगी ।''

२४. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या उस सरकार को प्रस्तुत की गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी। परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा से अपवर्जित नहीं होगी :

''परन्तु यह और कि मानव अधिकारों के अतिक्रमण के आरोपों मामले में, मांगी गई जानकारी केवल संबंधित सूचना आयुक्त के ही दी जाएगी और धारा ७ में किसी बात के होते हुए अनुरोध की प्राप्ति के तैंतालीस दिनों के भीतर प्रदत्त

(२) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा अनुसूची का, उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें

सम्मिलित करके, संगठन को उससे लोप किया गया समझा

करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या जाएगा ।

(३) उपधारा (२) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(४) "इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु भ्रष्टाचार के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस धारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि मानव अधिकारों के अतिक्रमण के आरोपों के मामले में, मांगी गई जानकारी केवल संबंधित सूचना आयुक्त के अनुमोदन से ही दी जाएगी और धारा ७ में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी जानकारी अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदत्त की जाएगी ।

(५) उपधारा (४) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।"

निगरानी और अंत रिपोर्ट करना । कार्यान्वयन के समुचित सरकार को

२५. (१) यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के पश्चात् यथासाध्यशीघ्रता से वर्ष के दौरान इस अधिनियम के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति भेजेगा ।

(२) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकरणों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनो के लिए, उस सूचना को प्रस्तुत करने तथा अभिलेख रखने से संबंधि ात अपेक्षाओं का पालन करेगा ।

(३) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में कथन होगा, जिसमें रिपोर्ट निम्नलिखित से संबंधित हैं -

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी को किए गये अनुरोधों की संख्या;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक, अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए पात्र नहीं थे, इस अधिनियम के उपबंध, जिनके अधीन वे विनिश्चय किए गए थे और वे ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधो का अवलंब लिया गया था;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों के स्वरूप और अपीलों के निष्कर्ष;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां;

(ड.) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम;

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को ग्रहण कराने या कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के प्रयास को उपदर्शित करते हैं;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशे, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, अभिवृद्धि आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों की बाबत सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं ।

(४) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्य, शीघ्रता से, उपधारा (१) में निर्दिष्ट यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मण्डल के दो सदन है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मण्डल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(५) यदि आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए सिफारिश कर सकेगी, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना ।

२६. (१) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धि की सीमा तक-

(क) जनता की, विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायो की, इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारी का प्रयोग करने के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी;

(ख) लोक प्राधिकारियों को खण्ड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों और आयोजन में भाग लेने और उनके लिए ऐसे कार्यक्रम करने के लिए बढ़ावा दे सकेगी;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी;

(घ) लोक प्राधिकरणों के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक

प्राधिकरण द्वारा अपने प्रयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियां पेश कर सकेगी ।

(२) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति में ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(३) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो, उपधारा (२) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (२) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा -

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य;

(ख) धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकारी के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रानिक डाक पता;

(ग) वह रीति और प्ररूप, जिसमें किसी यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के किसी यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य;

(ड.) आयोग से उपलब्ध सहायता;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य की बाबत किसी कार्य या कार्य करने में असफल रहने के संबंध में विधि ा में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है;

(छ) धारा ४ के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं।

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र ।

(४) समुचित सरकार, को यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए ।

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

२७. (१) समुचित केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा ४ की उपधारा (४) में प्रसारित किए जाने वाले मीडियम की लागत या मीडियम का प्रिन्ट लागत मूल्य;

(ख) धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन संदेय फ़ीस;

(ग) धारा ७ की उपधारा (१) और उपधारा (५) के अधीन संदेय फ़ीस;

(घ) धारा १३ और धारा १६ की उपधारा (७) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ड.) धारा १६ की उपधारा (१०) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति ।

२८. (१) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा ।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे अर्थात :-

(i) धारा ४ की उपधारा (४) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की कीमत या प्वाइंट कीमत लागत;

(ii) धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन संदेय फ़ीस; और

(iii) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

नियमों का रखा जाना ।

२९. (१) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी/समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन सहमत हो जाते हैं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(२) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।

सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय कानून (२००५)

अर्थ, महत्वपूर्ण व सम्भावनाएं

भारत डोगरा

सूचना के अधिकार का अर्थ यह है कि किसी भी नागरिक को अपने जीवन को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली किसी भी निर्णय, नीति, कार्यक्रम, परियोजना आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हक है । यह अधिकार लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी अधिकार है क्योंकि जब तक हमारे पास सही या प्रमाणित जानकारी ही नहीं होगी तो हम अपने जीवन को प्रभावित करने वाले तमाम निर्णयों, नीतियों आदि में कोई सार्थक भागीदारी कैसे कर सकेंगे । यदि गांव के विकास कार्यों की ईमानदारी सुनिश्चित करनी है तो इन कार्यो से संबंधित सब महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे कार्यों का विवरण, बजट इनसे संबंधित बिल, वाऊचर, मस्टर रोल देखने, जांचने इनकी प्रति प्राप्त करने का अधिकार उस गांव के लोगो को होना चाहिए । यदि किसी परियोजना में किसी क्षेत्र के लोगों के विस्थापित होने की संभावना हो तो परियोजना संबंधी सब जानकारी सभी प्रभावित लोगों को आरंभिक चरण में ही मिलनी चाहिए ।

इस अधिकार के महत्व को देखते हुए कई कानूनविदों व सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों तक ने माना कि यह अधिकार भारतीय संविधान में निहित है किन्तु यह बात सैद्धान्तिक होकर ही रह गई । व्यवहारिक स्तर पर यह अधिकार नागरिकों केा उपलब्ध होने के लिए इस विषय पर अलग से कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई । ऐसे कई प्रयास राज्य स्तर पर हुए । संसद द्वारा पूरे देश के लिए कानून बनाने की चर्चा लगभग एक दशक से चलती रही है । अंत में ११ मई २००५ को लोकसभा में सूचना के अधिकार का बिल स्वीकृत किया गया । इसके अगले दिन इसे राज्य सभा की भी स्वीकृति मिल गई । यह कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के १२० दिन बार पूरे देश में लागू हो गया है ।

इसका सरलतम व्यवहारिक रूप यह है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सब-डिवीजन, पंचायत राज की संस्थाओं तक विभिन्न स्तरों पर ऐसे अधिकारी तय होंगे व ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि इनसे संबधित कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई नागरिक विधिसम्मत तरीके से वहां जाकर जानकारी प्राप्त कर सके ।

आइए अब अधिक विस्तार से इस कानून के विभिन्न पक्षों पर विचार करें । इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सरकारी विभागों व उपक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ उन निजी या गैर-सरकारी उपक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिन्हें अधिकांश आर्थिक सहयोग सरकार से प्राप्त होता है या जिनपर सरकारी नियंत्रण किसी रूप में हो । इसके अतिरिक्त किसी निजी उपक्रम की जो जानकारी वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत किसी लोक प्राधिकारी, सरकारी विभाग या उपक्रम को प्राप्त हो रही है तो वह जानकारी भी सरकारी विभाग से प्राप्त करने का हक इस कानून में निहित है। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री के प्रदूषण की जानकारी यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास है तो बोर्ड से यह जानकारी विधिसम्मत तरीके से लेने का अधिकार इस कानून में उपलब्ध है । इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक निजी क्षेत्र की जानकारी लेने का अधिकार भी प्राप्त हुआ है । हालांकि भविष्य में इसे और अधिक मजबूत बनाने की गुंजाइश है ।

इस कानून के अंतर्गत कई रूप में उपलब्ध जानकारी प्राप्त हो सकती है जैसे रिकार्ड, दस्तावेज़, ई-मेल, रिपोर्ट, कागजात, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, सर्कुलर, आदेश, लागबुक, ठेके, आंकड़े, मॉडल, कम्प्यूटर या इलैक्ट्रानिक रूप में संग्रहित जानकारी, डिस्क, फ्लापी, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सैम्पल आदि । उदाहरण

के लिए किसी सड़क की गुणवत्ता जानने के लिए कोई व्यक्ति विधिसम्मत तरीके से उसका एक छोटा-सा सैम्पल भी उठा सकता है । इस अधिकार के अंतर्गत दस्तावेज व रिकार्ड का निरीक्षण हो सकता है, रिकार्ड की सत्यापित कापी प्राप्त की जा सकती है, नोट्स लिए जा सकते हैं, किसी कार्य में प्रयुक्त सामग्री का सैम्पल लिया जा सकता है ।

यह कानून लागू होने तक सभी लोक प्राधिकारियों को अपने रिकार्ड दुरस्त करने के साथ-साथ यह जानकारियां प्रकाशित करनी हैं-सरकारी उपक्रम या विभाग के साथ व कर्तव्य, इसके विभिन्न अधिकारियों को क्या विधिसम्मत निर्णय लेने के अधिकार हैं व उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, निर्णय लेने के तौर-तरीके क्या हैं, उनमें किस तरह की निगरानी व जवाबदेही की व्यवस्था है, कार्य के तौर-तरीके क्या हैं, उसके पास उपलब्ध या उसके अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे नियम-कायदे, निर्देश, मैनुअल व रिकार्ड क्या हैं, उसके पास उपलब्ध दस्तावेजो की श्रेणियों के बारे में एक विवरण, नीति निर्धारण या क्रियान्वयन में जन-भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारी या तौर-तरीकों का विवरण, विभिन्न सलाहकार समितियों व उनकी पारदर्शिता का विवरण, अधिकारियों व कर्मचारियों की एक डाइरेक्टरी या निर्देशिका, अधिकारियों के वेतन-भत्ते आदि का विवरण विभिन्न एजेंसियों के बजट का विवरण, विभिन्न मदों के लिए आवंटित धन व वास्तविक खर्च का विवरण, सबसिडी कार्यक्रमों की कार्य प्रणालियों, उनके अन्तर्गत खर्च किए गये धन व इसके लाभार्थियों का विवरण, उसके द्वारा दी गई विभिन्न रियायतों, सब्सिडी, परमिटों आदि का विवरण, इलैक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध रिकार्ड का विवरण, नागरिकों को सूचना करवाने के तौर-तरीकों, लाईब्रेरी वाचनालय आदि संबंधी विवरण, सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पद व उनसे संबंधी अन्य विवरण । इस प्रकाशन सामग्री का हर वर्ष नवीनीकरण भी किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त लोक प्राधिकारी विभिन्न नीतियां बनाते समय या लोगों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते समय सभी आवश्यक तथ्यों का प्रकाशन करेंगे व विभिन्न निर्णय क्यों लिए गए इसकी सूचना प्रभावित व्यक्तियों को देंगे । विभिन्न लोक प्राधिकारी यह प्रयास करेंगे कि बहुत सी जानकारी स्वयं इंटरनेट व अन्य माध्यमों से उपलब्ध करवाएं ताकि नागरिकों को बार-बार कानून का उपयोग करने की आवश्यकता न हो ।

विभिन्न जानकारियां लोगों तक पहुंचाने में स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय जरूरतों व सस्ते तौर-तरीकों का ख्याल रखा जाएगा ।

इस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के १०० दिनों के भीतर सभी लोकप्राधिकारी अपने विभिन्न कार्यालयों में इस कानून के तहत सूचना प्रदान करने के लिए उतने सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की व्यवस्था करेंगे जितनी कि आवश्यकता है । इसी अवधि के दौरान प्रत्येक सब-डिवीजनल स्तर पर भी सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी की नियुक्ति होगी । सार्वजनिक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोध पर कार्यवाही करेंगे और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे । वे यह सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य संबंधित अधिकारियों की भी सहायता प्राप्त करेंगे व सूचना देने की जिम्मेदारी में यह अन्य अधिकारी भी सम्मिलित होंगे ।

जिन व्यक्तियों को सूचना की आवश्यकता है वह लिखित आवेदन द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्र की मान्यता प्राप्त भाषा में इन सूचना अधिकारियों से सूचना की मांग करेंगे व इसके साथ ही निर्धारित फीस भी जमा करेंगे । जो व्यक्ति अपनी मांग को लिखकर व्यक्त करने में असमर्थ हैं उन्हें अधिकारी लिखित देने में सहायता करेंगे । आवेदनकर्ता को किसी सूचना की मांग करते समय कोई कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है व अपना संपर्क पता आदि बताने के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिगत जानकारियां देने की भी जरूरत नहीं है ।

यदि आवेदन पत्र जिस लोक प्राधिकारी को दिया गया है उसके स्थान पर किसी अन्य लोकप्राधिकारी के पास जाना चाहिए था तो इसे वहां भेज कर उसकी जानकारी आवेदनकर्ता को आवेदन प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर भेज दी जायेगी ।

आवेदन पत्र व फीस प्राप्त होने के बाद जितनी शीघ्र संभव हो व अधिकतम तीस दिनों के भीतर संबंधित सूचना अधिकारी या तो जानकारी उपलब्ध करा देंगे या यह जानकारी न दे पाने का कारण आवेदनकर्ता को बता देंगे ।

किन्तु यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, वहां यह जानकारी ४८ घंटे के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी ।

यदि निर्धारित समय में सूचना अधिकारी जानकारी नहीं देते हैं तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया है । यदि अतिरिक्त फीस की आवश्यकता है तो सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को सूचित करेंगे, पर फीस युक्तिसंगत होगी व गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों से नहीं ली जाएगी । यदि समय पर जानकारी देने में देर हुई तो जानकारी निःशुल्क ही दी जाएगी ।

यदि सूचना अधिकारी द्वारा सूचना की मांग अस्वीकृत की जाती है तो उनकी ओर से आवेदनकर्ता को यह बताया जाएगा कि आवेदन की अस्वीकृति का क्या कारण है, कितने समय के भीतर इसके विरूद्ध अपील की जानी चाहिए व कहां अपील करनी है ।

इस कानून में यह भी बताया गया है कि किन विषयों पर सूचना नहीं दी जाएगी - ऐसी जानकारी जिससे देश की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा व विदेशों से संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो, जिससे किसी अपराध की संभावना बढ़ती हो, जिसका प्रकाशन किसी न्यायालय द्वारा विशेष तौर पर प्रतिबंधित है, बौद्धिक सम्पदा या वाणिज्य की गोपनीय जानकारी, मंत्रीमंडल के कागजात आदि । पर साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि लोक प्राधिकारी को कोई ऐसी प्रतिबंधित जानकारी को देना भी लोक हित में बहुत महत्वपूर्ण लगे तो यह जानकारी दी जा सकती है। मंत्रीमंडल के कागजात भी २० वर्ष बीतने के बाद देखें जा सकते हैं । यदि मांगी गई जानकारी में से कुछ हिस्सा ही प्रतिबंधित है तो शेष जानकारी दी जा सकती है । आवेदनकर्ता को सूचना अधिकारी बताएंगे कि मांग की गई जानकारी का एक हिस्सा ही दिया जा रहा है व इसका कारण बताया जाएगा ।

यदि मांगी गई जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या उपक्रम (तीसरी पार्टी) से संबंधित है व उनके द्वारा गोपनीय मानी जाती है, तो कानून में प्रक्रिया बताई गई है जिसके द्वारा इस तीसरी पार्टी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा व उसके बाद ही जानकारी देने या न देने का निर्णय सूचना अधिकारी द्वारा लिया जाएगा । यह तीसरी पार्टी इस निर्णय के विरूद्ध अपील भी कर सकती है ।

इस कानून के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय सूचना आयोग स्थापित किया जाएगा । इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होगी व कुछ अन्य केन्द्रीय सूचना आयुक्तों की जिनकी अधिकतम संख्या दस हो सकती है । इसी तरह हर राज्य में एक सूचना आयोग, अधिक से अधिक दस राज्य सूचना आयुक्त व एक प्रमुख राज्य सूचना आयुक्त की व्यवस्था होगी । सूचना आयोग को निर्वाचन आयोग जैसा दर्जा दिया गया है ।

यदि किसी भी व्यक्ति का सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होता है, या उसे जानकारी नहीं दी जाती है या गलत जानकारी दी जाती है या अधिक फीस ली जाती है, उसे सूचना आयोग में शिकायत करने का अधिकार है या आयोग स्वयं इसकी जांच कर सकता है । इस जांच के दौरान में

आयोग को सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त होंगे । आयोग को लोक प्राधिकारी के किसी रिकार्ड के परीक्षण का अधिकार होगा ।

आवेदनकर्ता को जानकारी न मिलने पर पहले संबंधित सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी से अपील करने को कहा गया है व वहां भी न्याय न मिलने पर ६० दिनों के भीतर सूचना आयोग में अपील करने को कहा गया है । इस अपील पर ३० से ४५ दिनों के बीच निर्णय दे दिया जाएगा । आयोग को यह अधिकार है कि वह सूचना अधिकारी को ऐसी जानकारी देने के लिए बाध्य करें जिसे सूचना अधिकारी ने पहले अस्वीकार कर दिया था । आवेदनकर्ता की क्षतिपूर्ति का आदेश भी आयोग दे सकता है । दूसरी ओर वह अपील को रद्द भी कर सकता है ।

विधिसम्मत तरीके से सूचना न देने वाले अधिकारी या इस कार्य में देर करने वाले अधिकारी पर आयोग २५० रूपए प्रतिदिन की देरी के हिसाब से अधिकतम २५००० रूपये तक का जुर्माना कर सकता है । अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी आयोग कर सकता है ।

यह कानून गुप्तचर व सुरक्षा संस्थाओं पर तभी लागू होगा यादि मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन या भ्रष्टाचार के आरोपों का हो ।

विभिन्न विभागो, मंत्रालयों आदि के सहयोग से प्रति वर्ष सूचना आयोग सूचना के अधिकार की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करेंगे । इन रिर्पोटों को संसद या विधान सभाओं में प्रस्तुत किया जाएगा । कानून में सरकार को इससे जुड़े शैक्षिक कार्यक्रम व प्रशिक्षण प्रोत्साहित करने को कहा गया है। सरकार को डेढ़ वर्ष के भीतर कानून पर सरल भाषा में साहित्य तैयार करने को कहा गया है ।

यह पंक्तियां लिखे जाने तक इस कानून के नियम बनने हैं । इन नियमों में विशेष ध्यान इस ओर देना चाहिए कि सूचना के लिए जो फीस या शुल्क ली जाए वह न्यायसंगत हो, जरूरत से अधिक न हो ।

कुल मिलाकर तो यह अच्छा और मजबूत कानून है, पर इसमें अभी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है व यदि अधिकारी चाहें तो उनका उपयोग देर करने के लिए या जानकारी छिपाने के लिए कर सकते हैं । यदि व्यवहारिक स्तर पर इस कारण अधिक कठिनाई हो तो कुछ संशोधन के लिए तैयार रहना चाहिए ।

इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सूचना आयोगों में ऐसे आयुक्तों की नियुक्ति हो जो लोकतंत्र व पारदर्शिता के लिए गहरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य कर सकें । यह सूचना आयोग पद-लोलुप व्यक्तियों की नई चरागाह नहीं चाहिए ।

सूचना के अधिकार का कानून बन जाना पर्याप्त नहीं है । इसका संदेश जब लोगों तक पहुंच सके इसके लिए अभी बहुत प्रयास करना जरूरी है । यदि इसके महत्व और सम्भावनाओं की जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंची तो कानून कागज पर ही रह जाएगा । राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन, दिल्ली में परिवर्तन व ऐसे ही कुछ अन्य संगठनों के अनुभव से पता चला है कि भ्रष्टाचार से लड़ने में यह कानून कितना मददगार हो सकता है। इन अनुभवों का लाभ उठाते हुए भ्रष्टाचार से लड़ने, लोकतंत्र को सशक्त करने व विकास की विसंगतियों को दूर करने में इस कानून की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है ।

♦ ♦ ♦

ABOUT AKHIL BHARTIYA SAMAJ SEWA SANSTHAN (ABSSS) CHITRAKOOT (U.P.)

Philosophy of ABSSS - ABSSS believes in ***Rachna*** (Creation) and ***Sangharsh*** (Non-Violence Struggle) to empower the most marginalised and exploited sections. Hence, ***"Antya Ka Uday"*** – Rise of the last has been the core developmental value statement of ABSSS by reflecting its meaning in all developmental interventions and initiatives to build a society where adivasis, dalits and women get equal opportunity (socially, economically and culturally) to live and work with dignity.

Vision of ABSSS- Our Vision is "to see a prosperous society where all have equality, access to social justice and opportunities for better livelihood."

Mission of ABSSS - "Advocacy and lobbying for the rights of adivasis and dalits and strengthen local institutions in the Bundelkhand Region to ensure self empowerment for Sustainable Development."

Goals and Strategies of the ABSSS

Goal 1 :To improve accessibility of tribal and dalits children and youth to basic education and livelihood skills respectively

Strategies

- *Support early age (FE, NFE) and adult education based on local environment and culture;*
- *Promote education based on human values, social cohesion and local culture;*
- *To widen the range of knowledge and understanding of the social, economic and political system in order to create a critical awareness about the environment;*
- *Increase employment generation skills and options among youths.*

Goal 2 :To minimise gender inequality and undertake proactive women empowerment initiatives

Strategies

- Effective redressal mechanism on women exploitation and atrocities against women;
- Promotion and strengthening of grassroots level women's organisations and networks to take up inequality and empowerment related issues;
- Increased participation of women in Gram Sabhas and PRIs;
- Increased access by women to easy credit for creation of productive assets and income generation opportunities;
- Increased access by women to basic health support services.
- To improve the health status of women and children of dalit, tribals and backward communities
- To ensure that people have access to better health, education and sanitation in villages.

Goal 3 : To improve the socio- economic and political conditions of the tribal and dalits and facilitate them to have increased control over natural resources and its optimal utilisation

Strategies

- Land and water resource management & development;
- Improve rain-water harvesting and percolation for improving agricultural productivity;
- Promotion of agro-based support services;
- Value addition to local natural resources and marketing options;
- Improve scope for inform income generating activities;

Goal 4 :To improve community participation in local planning and strengthen of PRIs for increased access to and use of developmental resources;

Strategies

- *Capacity building of Gram Sabhas and PRIs;*
- *Strengthening of Gram Sabha members for their active participation and decision-making in local governance process;*
- *Promotion of community managed village development information centres;*
- *Information dissemination on power of Gram Sabha and their role in mobilising*

resources for local area development.

Goal 5 : To strengthen the civil society and improve their access over information and opportunities

Strategies -

- Strengthening of individuals, CBOs and networks to act as catalyst and pressure groups;
- Strengthening of local cadres and volunteers to identify and find solutions to address local prblems effectively;

Goal 6: To promote and undertake necessary actions for protecting social justice and fundamental rights among tribal and dalits

Strategies -

- Situation assessment and documentation of ground realities to highlight violation and denial of social justice and fundamental rights;
- Network with local civil society institutions and strengthen alliance to identity issues in relation to human rights violations;
- Interface and exchange of information between the target groups and the government machinery;
- Public hearings between the effected families and concerned administration;
- Issue based campaign and lobbying at both micro and micro level for redressal;
- Highlighting of issues by using local media and various other mediums; and
- Legal support and facilitation to effected families in the form of taking up both individual and common cases with judiciary.

Goal 7 :To create a sustainable environment by influencing public policy at state level on pro-poor livelihood and human rights issues

Strategies

- Promotion of a human rights resource centre to act as human rights violation watch-dog and support centre;
- Awareness building and sensitisation among tribal and dalits about their fundamental right to livelihood;
- ssue based advocacy and lobbying of issues with government bureaucrats and legislative members;
- Policy advocacy to influence government policies on common issues;
- Public interest Litigations to draw attention of the judiciary for giving legal direction to concerned government machinery for action and policy change;
- Workshops and seminars on pro-poor livelihood support and human rights related issues in regular interval ;

Developmental Priorities - ABSSS has the following three development priorities that are core to its intervention process and on which other programme-wise thematic intervention issues are based to address widespread poverty and deprivation that is rampant in the targeted programme locations :

- Improvement and upliftment of Tribals & Dalits in the materials situation such as provision for minimum livelihood opportunities; opportunities for culturally sound and value based education; provision for basic health support & improved environment
- Human rights protection, advocacy & legal support to reduce social imbalance and inequality among tribal and dalits;
- Networking with like-minded civil society groups and make them proactive in addressing human rights and rural entitlement issues in Bundelkhand region;

Strategic Issues

- Developing of a long-term perspective action plan on Bundelkhand region in relation to livelihood issues, education, healthcare, sustainable agriculture, natural resource management, poverty, social exclusion and deprivation among tribals and dalits;
- Masco and Macro level Policy advocacy and intervention in relation violation of basic rights among tribal;
- Strengthening the local cadres, social entrepreneurs among dalits and tribal; and
- Networking with local civil society organisations and concerned citizens for identification critical iissues to undertake joint actions with object oriented focused programme interventions.

SHREE NARAYAN PRINTING PRESS, ALLAHABAD. Ph. 0532-3097744, Mob. 9415305959